दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

मिर्गी पीड़ित व्यक्ति की मदद के लिए पहुंचा डायल डायल 112

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुसौर राइनो को मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट प्राप्त हुआ। इवेंट पर पुसौर राइनो ग्राम रुचिदा पहुंचा। जहां रहने वाला भरत राम साहू पिता मकरध्वज साहु उम्र 60 वर्ष मिर्गी बीमारी से पीड़ित होने के कारण बार-बार बेहोश हो जा रहा था। डॉयल 112 स्टाफ आरक्षक ठंडा राम गुप्ता ने ईआरव्ही वाहन की मदद से भरत साहू को सीएचसी पुसौर में भर्ती कराया।

युवती ने काटी ली हाथ की नस, 112 की मिली सहायता

न्याय साक्षी/रायगढ़। चक्रधरनगर राइनो मेडिकल इमरजेंसी के इवेंट पर श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे पहुंची। जहां रहने वाली 27 वर्षीय युवती सुकांति सिदार अपने हाथ के नस को काट ली थी। आहिता सुकांति सिदार को चक्रधरनगर राइनो डायल 112 स्टॉप आरक्षक प्यारे लाल साहू ईआरव्ही वाहन में बिठाकर केजीएच ले जाकर भर्ती कराया।

दो लोगों की असामायिक मृत्यु, वारिसानों को मिली सहायता राशि

न्याय साक्षी/रायगढ़। प्राकृतिक आपदा के तहत खरसिया एवं घरघोड़ा अनुविभाग अंतर्गत आग में जलने एवं पानी में डूबने से दो लोगों की असामायिक मृत्यु हो गई। कलेक्टर के आदेशानुसार एसडीएम खरसिया एवं घरघोड़ा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतक के वारिसानों को 4-4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील खरसिया के ग्राम-बरगढ़ निवासी कु.अनिता की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके भाई नरेश कुमार को 4 लाख रुपए तथा तहसील तमनार अंतर्गत ग्राम देवगढ़ निवासी सीताबाई की 18 जनवरी 2018 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके पुत्र करमनाथ को 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

पत्रकार से हुये लूट, मारपीट के मामले में अपचारी बालिका सहित युवक गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर

न्याय साक्षी/रायगढ़। घटना दिनांक 16.06.2019 को रिचा शर्मा नाम की लडकी आहत/प्रार्थी हुमेश जायसवाल से फेसबुक पर दोस्ती कर रायगढ मिलने के लिये बुलायी। दोनो हुमेश के कार में सिंघनपुर की ओर घूमने गये थे कि रात्रि 10.00 बजें करीबन एक स्कार्पियों पर अज्ञात लोग आये रास्ता रोककर हुमेश के साथ हत्या करने की नियत से सिर, पैर में हाकी स्टीक एवं पत्थर से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिये और हुमेश से तीन मोबाइल, 5000/रू तथा ई.टी.व्ही. का मोजो किट लूट लिये और आरोपीगण अपने साथ रिचा शर्मा को बिठाकर ले गये। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना भूपदेवपुर में अपराध क्रमांक 108/19 धारा 307,394,427,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दरम्यान वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्रापत कर थाना प्रभारी भूपदेवपुर निरीक्षक उत्तम साहू एवं सायबर सेल की टीम द्वारा लगातार रिचा शर्मा के फेसबुक एकाउंट से पतासाजी किया जा रहा था तथा आहत/प्रार्थी एवं कथित रिचा शर्मा के मोबाइल नम्बर की जांच की गई। लड़की रिचा शर्मा के मिलने पर खुलासा हुआ कि बरभौना निवासी टिकेश डनसेना एवं उनके साथियों ने हुमेश को सिंघनपुर बरभौना मार्ग में लेकर आने के लिये उसे बोला गया था और हुमेश के साथ मारपीट एवं लूट की घटना टिकेश डनसेना एवं उनके साथियों द्वारा किया गया है। विवेचना दौरान घटना में उपयोग किये गये स्कार्पियों को दिनांक 26.06.19 को आनंद पटेल पिता मनहरण पटैल निवासी पामगढ थाना खरसिया के पास से बरामद किया गया पूछताछ पर आनंद पटैल ने घटना दिनांक को उसके स्कार्पियों वाहन क्र सीजी 13 यूसी/5200 में टिकेश डनसेना, पिताम्बर डनसेना, लोकेश झरिया, ईश्वर डनसेना सभी निवासी बरभौना एवं शिव महंत, भूनेश्वर ग्राम गिधा द्वारा सिंघनपुर जंगल में हुमेश जायसवाल को मारकर उससे रूपये, मोबाईल एवं ईटीव्ही मोजो किट लूटा गया था और लड़की को साथ ले गये थे। मामलें में आरोपी आनंद पटैल के मेमोरण्डम कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 395,397,120बी भादवि जोडी गई तथा गिरफ्तार आरोपी आनंद पटैल पिता मनहरण पटैल उम्र 22 वर्ष निवासी पामगढ थाना खरसिया जिला रायगढ एवं अपचारी बालिका (कथित रिचा शर्मा काल्पनिक नाम) को न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।

आईआईटी एवं मेडिकल प्रवेश हेतु 5 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला प्रशासन द्वारा निन्शुल्क आईआईटी एवं मेडिकल प्रवेश हेतु तेजस्वी कोचिंग संस्थान में प्रवेश के लिए 10 वीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं से 5 जुलाई 2019 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। आईआईटी कोचिंग हेतु छात्र एव छात्राएं दोनों आवेदन कर सकते है। वहीं मेडिकल कोचिंग हेतु सिर्फ छात्राएं ही आवेदन कर सकेंगी। कोचिंग में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु 10 वीं में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग हेतु 75 प्रतिशत अंक निर्धारित किया गया है। प्रवेश हेतु आय सीमा 5 लाख रुपए वार्षिक निर्धारित किया गया है। आवेदकों के लिए प्रवेश परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। इच्छुक आवेदक अपना आवेदन सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते है।

पुलिस ने दिखाई मानवता, वृद्ध अशहाय महिला के पति का किये अंतिम संस्कार

» वृद्ध महिला को वृद्धा आश्रम भिजवाया गया

न्याय साक्षी/रायगढ़। ग्राम जमरगी थाना बागबहार जिला जशपुर में रहने वाली धनमति चौहान उम्र करीब 70 वर्ष व उसका पति पतिराम चौहान उम्र करीब 80 वर्ष घरघोड़ा के सब्जी मार्केट के पास रहकर आसपास भिक्षा मांगकर गुजर बसर कर रहे थे। दिनांक 25.06.19 को अधिक वृद्ध होने से पतिराम चौहान का देहांत हो गया। मृतक का शव सब्जी मार्केट के पास रोड किनारे पड़ा था, किसी ने इसकी सूचना डॉयल 112 को दिया। तब घरघोड़ा ईआरव्ही वाहन के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक चमन सिन्हा को वृद्ध का शव सड़क किनारे पडे रहने की सूचना दिये। थाना प्रभारी घरघोड़ा अपने स्टाफ के साथ मौके पर आये और वृद्ध महिला धनमति चौहान से उसके वारिसान के संबंध में पूछताछ किये जिसने गांव तथा घरघोड़ा में कोई रिश्तेदार नही होना बतायी। वृद्ध की अवस्था देखकर थाना प्रभारी घरघोड़ा व स्टाफ द्वारा उसी दिन पतिराम चौहान के कफन दफन की व्यवस्था कर शव को छाल रोड़ में ले जाकर अंतिम संस्कार किये एवं वृद्ध महिला के भोजन आदि की व्यवस्था करवाये। आज थाना प्रभारी घरघोड़ा द्वारा लैलूंगा सलखिया के वृद्धाश्रम ले जाकर धनमति चौहान को दाखिल करवाया गया हैं।

मंगलू को अपने कुएं के पानी से खेती-बाड़ी करने में होगी आसानी

» जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए जा रहे सार्थक कार्य

न्याय साक्षी/रायगढ़। स्वस्थ एवं सुरक्षित जल स्वास्थ्य की पूंजी है। रायगढ़ जिले में मनरेगा के तहत जल संरक्षण संवर्धन का कार्य कलेक्टर यशवंत कुमार के मार्गदर्शन में सार्थक रूप में हो रहा है। साथ ही जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कुआं, डबरी एवं तालाबों का गहरीकरण किया गया है और पुराने नालों का उन्नयन का कार्य तीव्र गति से हो रहा है। किसानों को तालाबों के मेढ़ों पर बरगद, पीपल एवं नीम के पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसान अपने खेतों के मेढ़ों में भी पौधरोपण करके पर्यावरण को संरक्षित करने का कार्य कर रहे है। जिला प्रशासन द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी योजना के तहत गांवों में कुआं के कार्य को मूर्त रूप दिया गया है। जहां मनरेगा के अंतर्गत 13 चिन्हांकित नालों में और तमनार विकासखण्ड में बोल्डर चेकडेम का कार्य वन विभाग के द्वारा कराया गया। कलेक्टर यशवंत कुमार ने सारे कार्यों को गुणवत्ता के साथ बनाने के लिए कहा है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्य तीव्र गति से पूर्ण किया जा रहा है। जीआईएस मेपिग के आधार पर ग्राम पंचायतों में ग्रामवासियों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए ग्रामवार डीपीआर बनाया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि घरघोड़ा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत छर्राटांगर में मनरेगा के तहत गौरी का 2.35 लाख की लागत से कुआं निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार घरघोड़ा विकासखण्ड के ग्राम-बहिरकेला के किसान मंगलू का भी कुआं निर्माण पूर्ण हो गया है। किसान मंगलू ने शासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य सार्थक हो रहे है, अब उनको बरसात के दिनों में अपने कुएं में पानी एकत्रित करने के लिए आसानी होगी। साथ ही खेती-किसानी तथा बाड़ी में आसानी से साग-सब्जी का उत्पादन कर सकते है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता इस संघ का गठन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी शकुन्ते एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480